बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक–रा0खा0सु0मि0को0–04 / 2017– 120 / कृ0, पटना दिनांक 11/06/, 2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

 # अनौपचारिक रूप से परामर्शित **#द्वारा – वित्त विभाग।**

विषय – **राज्य स्कीम अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 917.342 लाख (नौ करोड़ सत्रह लाख चौतीस हजार दो सौ) रूपये के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राज्य योजना अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना हेतु वर्ष 2019–20 में कुल 917.342 लाख रूपये (नौ करोड़ सत्रह लाख चौतीस हजार दो सौ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोडमैप के अधीन राज्य में खरीफ मौसम में धान की सामुदायिक नर्सरी तैयार किया जायेगा। नर्सरी में तैयार बिचड़ों को इच्छुक एवं जरूरतमंद कृषकों के बीच शत प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जायेगा। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना, वर्ष 2019–20 हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है,

क्र0 सं0	फसल	भौतिक लक्ष्य(एकड़ में)		वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)			कुल वित्तीय (लाख रूपये में)
		नर्सरी (बिचड़ा)	रोपनी से आच्छादन	नर्सरी विकास	बिचड़ा क्रय / वितरण	आकस्मिकता व्यय (लाख रू0 में)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	धान	5230.00	52300.00	383.882	523.00	10.460	917.342

3. यह योजना वर्ष 2019–20 के खरीफ मौसम में कार्यान्वित किया जायेगा। उक्त योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य हेतु अनुसूची–1 संलग्न है। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना अंतर्गत बिचड़ा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र के लिए अनुसूची–2 संलग्न है। धान बिचड़ा उत्पादक द्वारा बिचड़ा वितरण पंजी संधारण हेतु प्रपत्र अनुसूची–3 संलग्न है।
4. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासी विपत्र के आधार पर की जायेगी। जिलावार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है।
5. धान की सामुदायिक नर्सरी पाँच–पाँच एकड़ के कलस्टर में कुल 5230 एकड़ में जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषकों के खेत में विकसित किया जाएगा (जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–I पर अनुलग्न)।

6. नर्सरी विकास हेतु उपादान मद में पूर्व वर्ष 2018–19 की भाँति ही 7340.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से राशि व्यय किया जाएगा तथा उपादान मॉडल निम्न प्रकार होगा :

क्र0 सं0	उपादान का नाम	मात्रा	अधिकतम अनुदान सहायता (रू0 में)
1	प्रमाणित धान बीज	120 कि0ग्रा0	3840.00
2	कम्पोस्ट	2.5 क्विंटल	1500.00
3	बीज उपचार / पौधा संरक्षण रसायन	आवश्यकतानुसार	500.00
4	सिंचाई	आवश्यकतानुसार	1500.00
	कुल योग		**7340.00**

7. बिचड़ा वितरण मद में कृषकों द्वारा बिचड़ा क्रय के विरूद्ध प्रति एकड़ 10,000.00 (दस हजार) रूपये अर्थात एक एकड़ रोपनी हेतु बिचड़ा क्रय के विरूद्ध 1,000.00 (एक हजार) रूपये प्रति एकड़ के दर से राशि व्यय किया जाएगा।
8. नर्सरी विकास मद की अनुमान्य राशि संबंधित बिचड़ा उत्पादक कृषक को उपादान क्रय से संबंधित अभिलेख / अभिश्रव / विपत्र के उपस्थापन तथा प्राधिकृत पदाधिकारी / कर्मी द्वारा नर्सरी स्थल के सत्यापन के आधार पर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा देय होगा।
9. धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना के प्रचार–प्रसार स्थल प्रदर्शन, अभिलेख संधारण आदि हेतु दो सौ रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रति पाँच एकड़ के नर्सरी स्थल के लिए 1,000.00 (एक हजार) रूपये अनुमान्य होगा।
10. बिचड़ा क्रय के विरूद्ध राशि का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नर्सरी स्थल से सम्बद्ध किये गये प्राधिकृत पदाधिकारी / कर्मी द्वारा बिचड़ा उपयोग के सत्यापन के आधार पर संबंधित कृषक / क्रेता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
11. एक कृषक को अधिकतम एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) में धान रोपनी हेतु बिचड़ा उपलब्ध कराया जा सकेगा।
12. धान की सामुदायिक नर्सरी विकास कलस्टर में किया जाएगा तथा एक कलस्टर का न्यूनतम रकवा 5 (पाँच) एकड़ होगा।
13. नर्सरी स्थल का Geo Tagging कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
14. नर्सरी स्थल के चयन में इच्छुक लघु एवं सीमान्त कृषकों के समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।
15. नर्सरी उत्पादक को नर्सरी विकास एवं बिचड़ा वितरण से संबंधित किसानों का लेखा संधारण हेतु स्थल पंजी संधारित किया जायेगा तथा इसका पृष्ठ सत्यापन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
16. नर्सरी विकास हेतु स्थानीय परिस्थिति के आलोक में अल्प अवधि अथवा मध्यम अवधि के प्रभेदों का चयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से परामर्शानुसार किया जाएगा तथा इससे संबद्ध किये गये किसानों के पसंद एवं स्थान विशेष के लिये अधिक उपलशील लोकप्रिय प्रभेद को प्राथमिकता दी जाएगी। बीज एवं अन्य उपादान की उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
17. नर्सरी ऊँचे स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधायुक्त होगा ताकि नर्सरी स्थल बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा अथवा सुखाड़ से प्रभावित नहीं हो।
18. नर्सरी तैयारी से पूर्व इच्छुक कृषकों को लक्ष्यानुसार संबंद्ध किया जाएगा।
19. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये क्रमशः 16% एवं 1% राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
20. बाढ़ अथवा सुखाड़ के फलस्वरूप बिचड़ा क्षति से प्रभावित कृषकों को पहले आओ पहले पाओं के आधार पर सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाएगी।
21. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन एवं बटाई पर जोत करने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
22. लक्ष्य शेष रहने पर लघु एवं सीमान्त कृषक को वरीयता दी जाएगी तथा अंत में शेष लक्ष्य मध्यम एवं बड़े कृषक से पूरा किया जा सकेगा।
23. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी नर्सरी स्थल क्षेत्र से संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को संबंद्ध करेगें तथा दायित्व का निर्धारण करेंगे।
24. योजना के कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की पूर्ण जबावदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।

25. योजना एवं नर्सरी स्थल का व्यापक प्रचार–प्रसार जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आत्मा के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
26. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने जिलों में उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु सघन पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुनिश्चित करायेगें।
27. नर्सरी स्थल से संबंद्ध किये गये पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नियमित रूप से नर्सरी स्थल, स्थल पंजी, बिचड़ा वितरण एवं रोपनी स्थल का निरीक्षण कर जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा।
28. संबंधित किसान सलाहकार अथवा कृषि समन्वयक द्वारा इच्छुक कृषकों से विहित प्रपत्र (अनुसूची–II के अनुसार) में आवेदन प्राप्त कर रोपनी हेतु खाली स्थल के सत्यापन उपरान्त स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा।
29. बिचड़ा वितरण से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र (अनुसूची–III के अनुसार) में स्थल पंजी में बिचड़ा उत्पादक द्वारा संधारित किया जाएगा।
30. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासी विपत्र के आधार पर की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है।
31. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा आकस्मिकता मद से नर्सरी स्थल पर प्रदर्शन बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सत्यापित स्थल पंजी तथा आवेदन पत्र एवं पंजी संधारण से संबंधित प्रपत्र बिचड़ा उत्पादक को उपलब्ध कराया जाएगा।
32. जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नर्सरी उत्पादन एवं बिचड़ा वितरण से लाभान्वित कृषकों की सूची जिला में एन0आई0सी0 के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड सुनिश्चित किया जाएगा।
33. इस योजना के लिये पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश उपर्युक्त निदेश के अनुसार संशोधित एवं प्रभावी माना जायेगा तथा आवश्यकतानुसार प्रशासी विभाग द्वारा अतिरिक्त संशोधन/समावेश किया जा सकेगा।
34. योजना कार्यान्वयन में वित्तीय सीमा के अंदर प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।
35. योजना कार्यान्वयन के बाद कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
36. वर्ष 2019–20 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0106– इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना विपत्र कोड–01–2401001090106, विषयशीर्ष–0106.33.01 –सब्सिडी	8702.460	761.394
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्रकोड–01–2401007890106, विषयशीर्ष–0106.33.01 –सब्सिडी	1677.580	146.775
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–01 उप शीर्ष–0134–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना विपत्र कोड– 01– 2401007960134, विषयशीर्ष–0134.33.01–सब्सिडी	104.850	9.173
कुल	**10484.890**	**917.342**

37. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासी विपत्र के आधार पर की जायेगी। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक बिहार, पटना होंगे।

38. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–4 (क) 2 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति दिनांक 20.05.2019 को प्राप्त है। संचिका संख्या–रा0खा0सु0मि0को0–04/2017 के पृष्ठ संख्या–45/प0 पर दिनांक 28.05.2019 को माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।
39. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।
40. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या रा0खा0सु0मि0को0–04/2017 के पृष्ठ संख्या–47/टि0 पर दिनांक 03.06.2019 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या–100 दिनांक 03.05.2019 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra 7.6.19

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–04/2017– 120 /कृ0, पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 7.6.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–04/2017– 120 /कृ0, पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 7.6.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–04/2017– 120 /कृ0, पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 7.6.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–04/2017– 120 /कृ0, पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 7.6.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–04/2017– 120 /कृ0, पटना, दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारियों के ई0 मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

Rabindra 7.6.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

अनुसूची–I

कृषि विभाग, बिहार सरकार

धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना खरीफ वर्ष 2019 का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

भौतिक एकड़ में, वित्तीय लाख रू0 में

क्र0 सं0	जिला	प्रखंडो की संख्या	पंचायत की संख्या	भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य				अभियुक्ति
				नर्सरी विकास	बिचड़ा वितरण	रोपनी से आच्छादन	नर्सरी विकास (रू0 7340 /एकड़)	बिचड़ा वितरण (रू0 10000 /एकड़)	आकस्मिकता व्यय (रू0 1000/5 एकड़/क्लस्टर)	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना	23	329	230	230	2300	16.882	23.000	0.460000	40.342	
2	नालन्दा	20	249	200	200	2000	14.680	20.000	0.400000	35.080	
3	भोजपुर	14	228	140	140	1400	10.276	14.000	0.280000	24.556	
4	भभुआ	11	151	110	110	1100	8.074	11.000	0.220000	19.294	
5	औरंगाबाद	11	202	110	110	1100	8.074	11.000	0.220000	19.294	
6	मुजफ्फरपुर	16	387	160	160	1600	11.744	16.000	0.320000	28.064	
7	मधुबनी	21	398	210	210	2100	15.414	21.000	0.420000	36.834	
8	समस्तीपुर	20	380	200	200	2000	14.680	20.000	0.400000	35.080	
9	सहरसा	10	153	100	100	1000	7.340	10.000	0.200000	17.540	
10	सुपौल	11	181	110	110	1100	8.074	11.000	0.220000	19.294	
11	मधेपुरा	13	169	130	130	1300	9.542	13.000	0.260000	22.802	
12	पुर्णियॉ	14	251	140	140	1400	10.276	14.000	0.280000	24.556	
13	अररिया	9	217	90	90	900	6.606	9.000	0.180000	15.786	
14	रोहतास	19	247	190	190	1900	13.946	19.000	0.380000	33.326	
15	गया	24	331	240	240	2400	17.616	24.000	0.480000	42.096	
16	सारण	20	328	200	200	2000	14.680	20.000	0.400000	35.080	
17	सीवान	19	294	190	190	1900	13.946	19.000	0.380000	33.326	
18	गोपालगंज	14	233	140	140	1400	10.276	14.000	0.280000	24.556	
19	पू0 चम्पारण	27	410	270	270	2700	19.818	27.000	0.540000	47.358	
20	प0 चम्पारण	18	316	160	160	1600	11.744	16.000	0.320000	28.064	
21	सीतामढ़ी	18	273	180	180	1800	13.212	18.000	0.360000	31.572	
22	वैशाली	16	290	160	160	1600	11.744	16.000	0.320000	28.064	
23	दरभंगा	18	330	180	180	1800	13.212	18.000	0.360000	31.572	
24	बेगूसराय	18	257	90	90	900	6.606	9.000	0.180000	15.786	
25	लखीसराय	6	80	60	60	600	4.404	6.000	0.120000	10.524	
26	खगड़िया	7	129	70	70	700	5.138	7.000	0.140000	12.278	
27	भागलपुर	16	245	160	160	1600	11.744	16.000	0.320000	28.064	
28	किशनगंज	7	126	70	70	700	5.138	7.000	0.140000	12.278	
29	कटिहार	16	239	160	160	1600	11.744	16.000	0.320000	28.064	
30	बक्सर	11	143	110	110	1100	8.074	11.000	0.220000	19.294	
31	जहानाबाद	7	93	70	70	700	5.138	7.000	0.140000	12.278	
32	अरवल	5	68	50	50	500	3.670	5.000	0.100000	8.770	
33	नवादा	14	187	140	140	1400	10.276	14.000	0.280000	24.556	
34	शिवहर	5	53	50	50	500	3.670	5.000	0.100000	8.770	
35	मुंगेर	9	101	90	90	900	6.606	9.000	0.180000	15.786	
36	शेखपुरा	6	56	60	60	600	4.404	6.000	0.120000	10.524	
37	जमुई	10	153	100	100	1000	7.340	10.000	0.200000	17.540	
38	बांका	11	185	110	110	1100	8.074	11.000	0.220000	19.294	
कुल		534	8462	5230	5230	52300	383.882	523.00	10.460	917.342	

अनुसूची–II

धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना अन्तर्गत बिचड़ा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदन की तिथि :–
2. कृषक का नाम एवं पता :–
   (i) कृषक (आवेदक) का नाम :–
   (ii) पिता / पति का नाम :–
   (iii) ग्राम :– (iv) पंचायत :– (v) प्रखंड :– (vi) जिला :–
3. कृषक वर्ग (अनु0जाति / अनु0जनजाति / महिला / अल्पसंख्यक / अन्य) :–
4. कृषक श्रेणी (लघु / सीमांत / भूमिहीन / बटाईदार / अन्य) :–
5. कृषक के जोत का रकवा (एकड़ / डिसमील में) :–
6. बिचड़ा की रोपणी हेतु कुल रकवा (एकड़ / डिसमील में) :–
7. अनुदान पर प्राप्त बिचड़ा से की जाने वाले रोपणी से संबंधित भूमि (प्लॉट) का विवरण :

रोपणी स्थल संख्या	रोपणी स्थल का रकवा (एकड़ / डिसमील में)	ग्राम	रोपणी स्थल (खेत) का चौहद्दी (कृषक का नाम)			
			पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1						
2						
योग						

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी पूर्णतः सत्य है। मुझे कुल..............................एकड़ / डिसमील में धान की रोपणी हेतु बिचड़ा की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि बिचड़ा उत्पादक श्री / श्रीमती.. ग्राम.. को नगद क्रय पर बिचड़ा आपूर्ति हेतु अनुमति दी जाय।

कृषक (आवेदक) का हस्ताक्षर

अनुदान पर धान बिचड़ा प्राप्त करने हेतु स्वीकृति पत्र

आवेदक क्रमांक :.........................

श्री / श्रीमती..पिता / पति...ग्राम.. पंचायत...प्रखंड...............................जिला...के उपर्युक्त रोपनी हेतु खाली स्थल (खेत) का सत्यापन दिनांक....................................को किया गया। इस प्लाट का अक्षांश......... एवं देशान्तर .... है। बिचड़ा उत्पादक श्री / श्रीमती..ग्राम.......................................को इन्हें..एकड़ / डिसमील में धान रोपणी हेतु अनुदान पर बिचड़ा आपूर्ति की अनुमति दी जाती है।

कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

नाम :

तिथि :

....

प्राप्ति रसीद

दिनांक..................................को श्री / श्रीमती...पिता / पति.. ग्राम...पंचायत..प्रखंड..का आवेदन प्राप्त किया जिसका आवेदन क्रमांक.......................................एवं प्राप्ति तिथि...है।

कृषि समन्वयक / किसान सलाहकार का हस्ताक्षर

अनुसूची–III

कृषि निदेशालय, बिहार

धान बिचड़ा उत्पादक द्वारा बिचड़ा वितरण पंजी संधारन हेतु प्रपत्र

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	पंचायत	आवेदन क्रमांक एवं तिथि	स्वीकृति निर्गत होने की तिथि	बिचड़ा प्राप्ति का रकवा (एकड़ / डिसमील में)	देय अनुदान राशि (रू0 में)	बिचड़ा प्राप्त करने वाले कृषक का हस्ताक्षर एवं तिथि	बिचड़ा आपूर्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कृषि विभाग, बिहार सरकार

धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना खरीफ वर्ष 2019 के लिए जिलावार एवं कोटिवार वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय लाख रू0 में

क्र0 सं0	जिला	कुल	कोटिवार आवंटन			अभियुक्ति
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	40.342	33.484	6.455	0.403	
2	नालन्दा	35.080	29.116	5.613	0.351	
3	भोजपुर	24.556	20.381	3.929	0.246	
4	भभुआ	19.294	16.014	3.087	0.193	
5	औरंगाबाद	19.294	16.014	3.087	0.193	
6	मुजफ्फरपुर	28.064	23.293	4.490	0.281	
7	मधुबनी	36.834	30.572	5.894	0.368	
8	समस्तीपुर	35.080	29.116	5.613	0.351	
9	सहरसा	17.540	14.558	2.807	0.175	
10	सुपौल	19.294	16.014	3.087	0.193	
11	मधेपुरा	22.802	18.926	3.648	0.228	
12	पुर्णियाँ	24.556	20.381	3.929	0.246	
13	अररिया	15.786	13.102	2.526	0.158	
14	रोहतास	33.326	27.661	5.332	0.333	
15	गया	42.096	34.940	6.735	0.421	
16	सारण	35.080	29.116	5.613	0.351	
17	सीवान	33.326	27.661	5.332	0.333	
18	गोपालगंज	24.556	20.381	3.929	0.246	
19	पू0 चम्पारण	47.358	39.307	7.577	0.474	
20	प0 चम्पारण	28.064	23.293	4.490	0.281	
21	सीतामढ़ी	31.572	26.205	5.052	0.315	
22	वैशाली	28.064	23.293	4.490	0.281	
23	दरभंगा	31.572	26.205	5.052	0.315	
24	बेगूसराय	15.786	13.102	2.526	0.158	
25	लखीसराय	10.524	8.735	1.684	0.105	
26	खगड़िया	12.278	10.191	1.964	0.123	
27	भागलपुर	28.064	23.293	4.490	0.281	
28	किशनगंज	12.278	10.191	1.964	0.123	
29	कटिहार	28.064	23.293	4.490	0.281	
30	बक्सर	19.294	16.014	3.087	0.193	
31	जहानाबाद	12.278	10.191	1.964	0.123	
32	अरवल	8.770	7.279	1.403	0.088	
33	नवादा	24.556	20.381	3.929	0.246	
34	शिवहर	8.770	7.279	1.403	0.088	
35	मुंगेर	15.786	13.102	2.526	0.158	
36	शेखपुरा	10.524	8.736	1.684	0.104	
37	जमुई	17.540	14.559	2.807	0.174	
38	बांका	19.294	16.015	3.087	0.192	
	कुल	917.342	761.394	146.775	9.173	